रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2014/आषाढ़ 25, 1936
No. 213] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2014/ASHADHA 25, 1936

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

सं. 107

सं. ई.पी. 36(1)/2013.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) धारा-45 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. उप शीर्ष तथा आरंभः

(i) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014 कहे जाएंगे।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 के वर्तमान विनियम 58(8) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

कर्मचारी अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए निगम के किसी भी अन्य कर्मचारी अथवा किसी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के कर्मचारी की सहायता ले सकता है लेकिन वह इस काम के लिए किसी लीगल प्रैक्टिशनर

को नहीं रख सकता यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक लीगल प्रैक्टिशनर न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों के अनुसार इसकी अनुमति न दे दे ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी की सहायता ले सकते हैं बशर्ते कि :—

(i) संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी निगम (भा.खा. निगम) की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो ।

(ii) यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी एक लीगल प्रैक्टिशनर है तो कर्मचारी द्वारा लीगल प्रैक्टिशनर को रखने के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबंध लागू होंगे ।

(iii) संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी नौकरी की अवधि के दौरान न ही जांच स्तर अथवा अन्यथा रूप में अथवा न ही अपनी कार्यालयी क्षमता अथवा अन्यथा रूप में अथवा न ही किसी भी रूप में मामले में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए तथा सेवा से दोषरहित सेवानिवृत्त होना चाहिए ।

(iv) संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी, एक ही समय में तीन से अधिक मामलों में डिफेंस असिसटेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा । सेवानिवृत्त कर्मचारी जांच अधिकारी को इस बात से संतुष्ट करेगा कि उसके पास विचाराधीन मामले सहित तीन से अधिक मामले नहीं हैं ।

***नोट (1)** निगम केवल निगम के कर्मचारियों को ही यात्रा भत्ते का भुगतान करेगा तथा केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों को इनका भुगतान नहीं करेगा ।

***नोट (2)** कर्मचारी निगम के किसी अन्य कर्मचारी अथवा राज्य अथवा केंद्र सरकार के किसी भी ऐसे कर्मचारी जिसके पास दो अनुशासनिक मामले लंबित हैं अथवा निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसके पास तीन अनुशासनिक मामले लबिंत हैं जिसमें उसे सहायता प्रदान करनी है की सहायता नहीं लेगा ।

***नोट (3)** निगम के कर्मचारी की अनुशासनिक कार्यवाही में डिफेंस आसिस्टेंट के रूप में सहायता कर रहे भा. खा. निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी को निगम भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में उल्लिखित अनुदेशों तथा निगम में लागू नियमों के अनुसार, यात्रा भत्ते तथा अन्य खर्चो का भुगतान करेगा । इन अनुदेशों के अनुसार, वह कर्मचारी उस ग्रेड/श्रेणी का माना जाएगा जिस ग्रेड/श्रेणी में वह सेवानिवृत्ति से ठीक पहले था । यात्रा तथा अन्य व्यय निगम के उस कार्यालय द्वारा वहन किए जाएंगे जिससे दोषी कर्मचारी संबंधित है । दरों को सेवानिवृत्ति से पहले के पदानुसार तथा सेवानिवृत्ति पर घोषित निवास स्थान या वर्तमान निवास स्थान, जिसकी भी दूरी कम हो, के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

पी. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (आधिप्राप्ति)

[विज्ञापन-III/4/असा./108/14]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 8–5–1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तद्नुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किए गए।

क. सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2007	15.05.2007
2.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2009	14.02.2009
3	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2010	20.03.2010
4	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010	16.07.2010
5	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010	20.07.2010
6	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010	23.11.2010
7	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2011	13.04.2011
8	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
9	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
10	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2013	27.06.2013

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2014

No. 107

No. EP. 36(1)/2013.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Government of India, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to further amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely :—

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2014.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. The following amendments are made to the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 :

The existing Regulation 58(8) of Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 is substituted with the following :

The employee may take the assistance of any other employee of the Corporation or any State or Central Government employee to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

The employees of FCI may take the assistance of a retired FCI employee provided :

(i) The retired employee concerned should have retired from service under the Corporation (FCI).

(ii) If the retired employee is also a legal practitioner, the restrictions on engaging a legal practitioner by the employee as mentioned above will apply.

(iii) The retired employee concerned should not have, in any manner, been associated with the case at investigation stage or otherwise in his official capacity or otherwise during his course of employment and retired unblemished from the service.

(iv) The retired employee concerned should not act as a Defence Assistant in more than three cases at a time. The retired employee should satisfy the inquiring officer that he does not have more than three cases at hand including the case in question.

***Note (1)** The Corporation shall pay traveling allowance only in respect of the employees of the Corporation and not Central/State Government employees.

***Note(2)** The employee shall not take the assistance of any other employee of the Corporation or any State or Central Government employee who has two pending disciplinary cases or FCI retired employee who has three pending cases on hand in which he has to give assistance.

***Note (3)** The Corporation shall pay traveling allowance and other expenses to the retired FCI employee assisting an employee of FCI as Defence Assistance in disciplinary proceedings in accordance with the instructions contained in the FCI (Staff) Regulations, 1971 and the rules prevalent in the Corporation. He will be deemed to belong to the grade/category to which he belonged immediately before his retirement for the purpose of these instructions. The expenditure on account of travelling and other expenses will be borne by the Office of the Corporation to which the delinquent employee belongs. The rates are to be regulated from the declared place of residence on retirement or the place of current residence whichever is less and as per the level of post just before his retirement.

P. P. SINGH, Executive Director (Procurement)

[ADVT-III/4/Exty./108/14]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly vide :—

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2007	15.05.2007
2.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2009	14.09.2009
3.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010	20.03.2010
4.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010	16.07.2010
5.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010	20.07.2010
6.	FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010	23.11.2010
7.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2011	13.04.2011
8.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
9.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
10.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2013	27.06.2013

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई , 2014

सं. 108

सं. ई.पी. 38(1)/2013.—भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में आगे संशोधन के प्रयोजन से भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. उपशीर्ष तथा आरंभ :

i. इन विनियमों को भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 कहा जाएगा।

ii. ये विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

विनियम 29-ए के संदर्भ में परिशिष्ट 5 – निगम के नियमित कर्मचारी को दिए जाने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण को शासित करने वाले नियम एवं शर्तें।

पैरा(2)(ii) निगम में कार्यरत केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य लोक उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी/अधिकारी।	निकाला गया।

विनियम 29-बी के अंतर्गत परिशिष्ट 6 – केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति के वेतनमान में कार्यरत, सेवानिवृत्त एवं त्यागपत्र देने वाले निगम के नियमित कर्मचारी को दिए जाने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण को शासित करने वाले नियम एवं शर्तें।

पैरा(2)(b) निगम में कार्यरत केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य लोक उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी/अधिकारी।	निकाला गया।

पी. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (आधिप्राप्ति)

[सं. विज्ञापन-III/4/असा./108/14]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 8—5—1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तद्नुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किए गए।

क.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2007	15.05.2007
2.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2009	14.02.2009
3	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2010	20.03.2010
4	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010	16.07.2010
5	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010	20.07.2010
6	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010	23.11.2010
7	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2011	13.04.2011
8	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
9	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
10	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2013	27.06.2013

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2014

No. 108

No. EP. 38(1)/2013.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Government of India, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to further amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely :—

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2014.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. The following amendments are made to the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971:

APPENDIX-5 with reference to Regulation 29-A : Terms and conditions governing the encashment of earned leave by the regular employees of the Corporation while in service.

Para(2)(ii) Deputationists from Central Government/State Government/other Public Undertakings, working in the Corporation	Deleted

APPENDIX-6 under Regulation 29-B : Terms and conditions governing the encashment of Earned Leave by the regular employees of the Corporation who are on CDA pattern pay scale while in service, superannuation and resignation.

Para(2)(b) Deputationists from Central Government/State Government/other Public Undertakings.	Deleted.

P. P. SINGH, Executive Director (Procurement)

[ADVT-III/4/Exty./108/14]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly vide :—

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2007	15.05.2007
2.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2009	14.09.2009
3.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010	20.03.2010
4.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010	16.07.2010

5.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010	20.07.2010
6.	FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010	23.11.2010
7.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2011	13.04.2011
8.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
9.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
10.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2013	27.06.2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.